	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 4, गुरुवार, शाके 1939–मई 25, 2017 *Jyaistha 4, Thursday, Saka 1939–May 25, 2017*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2017

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 29–क के अधीन उसे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–**

(1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) ये राज पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावित होंगे।

2. **विनियम 22 का संशोधन :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999** के विनियम सं. 22 के उपविनियम (2) (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :–

(क) तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर के न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि 6000/–रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/– रुपये व्यय प्रति प्रकरण।

(ख) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण 9000/–रूपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/– रूपये व्यय प्रति प्रकरण।

(ग) जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय 13500/– रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 1000/– व्यय प्रति प्रकरण।

(घ) उच्च न्यायालय 16500/– रुपये प्रति प्रकरण और इस विहित फीस के अतिरिक्त 2000/– रुपये प्रति प्रकरण।

प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति 500/– रुपये व्यय प्रति प्रकरण के स्थान पर रुपये 1000/– प्रति प्रकरण प्रतिस्थापित की जाएगी।

द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

"परन्तु यह भी कि प्रकरणों के अंतिम विनिश्चय से पूर्व प्रत्याहरण /दोषी होने का अभिवचन करने के आधार पर निर्णय होने पर, उपखण्ड क से घ में विहित फीस की 1/2 राशि संदत्त की जाएगी।"

विनियम 37 का संशोधन :– इन विनियमों के विनयम 37 में विद्यमान अभिव्यक्ति रुपये 500/– के स्थान पर रूपये 1000/– प्रतिस्थापित की जाएगी।

आज्ञा से,
एस.के. जैन,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JAIPUR

NOTIFICATION

Jaipur, May 24, 2017

The Rajasthan State Legal Services Authority, In exercise of the powers conferred on it under section 29-A of the Legal Service Authority Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) hereby makes the following regulations further to amend the Rajasthan State Legal Service Authority Regulations, 1999, namely :-

(2) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of regulation 22 :-** The existing Clauses (a) to (d) of Sub-regulation (2) of regulation 22 of the Rajasthan State Legal Services Authority Regulation, 1999, herein after referred to as the said regulation, shall be substituted by the following namely :-

(a) Court of Tehsildar, Executive Magistrate, Civil Judge cum Judicial Magistrate, Sub Divisional Officer, Assistant Collector and other equivalent court etc. Rs. 6000/- per case and expenses of Rs. 1000/- per case in addition to fee prescribed.

(b) Court of Collector-cum District Magistrate, Additional Collector- cum Additional District Magistrate, Senior Civil Judge cum Chief Judicial Magistrate and Senior Civil Judge cum Additional Chief Judicial Magistrate, Revenue Appellate Authority and other similar Tribunals Rs. 9000/- and expenses Rs. 1000/- per case.

(c) Court of District & Sessions Judge, Additional District & Sessions Judge, Rs. 13500/- and expenses Rs. 1000/- per case.

(d) High Court Rs. 16500/- and expenses Rs. 2000/- per case.

The existing expression "Rs. 500" shall be substituted by "Rs. 1000" in first proviso. The "second Proviso" shall be substituted in following words :-

"Provided further in the withdrawal case/disposal of case on the plea of plead guilty, ½ amount of the fee as specified in clause (a) to (d) shall be paid.

3. Amendment of regulation 37 :- In regulation 37 of said regulations for the existing expression "Rs 500/-", shall be substituted by the expression "Rs. 1000"/-.

Government Central Press, Jaipur.